सं0सं0–म0नि0–II–उ0 यो0–93/2022–23/ ......46 रा0(वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक ..22.02.23..

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" के तहत् जीर्णोद्धार मद में कुल मो0 189.85097 लाख (एक करोड़ नवासी लाख पचासी हजार सन्तानवे) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 170.50 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि मो0 19,35,097/– रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार" योजना अंतर्गत विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यों हेतु कुल मो0 189.85097 लाख (एक करोड़ नवासी लाख पचासी हजार सन्तानवे) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 170.50 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि मो0 19,35,097/– रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जीर्णोद्धार कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है –

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	मीन भवन, मत्स्य कार्यालय का रिनोवेशन एवं रिमॉडलिंग कार्य	5,93,600/–	जिला अभियंता, जिला परिषद, हजारीबाग द्वारा दिनांक 27.10.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	हजारीबाग
2	जिला मत्स्य कार्यालय का मरम्मति कार्य (विद्युत, पानी, खिड़की, दरवाजा का कार्य, भवन का रंग–रोगन, फर्श को डिसमेन्टल कर टाईल्स तथा पूर्व क्षतिग्रस्त सीढ़ी को तोड़कर सीढ़ी निर्माण)	20,20,900/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा द्वारा दिनांक 03.08.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	कोडरमा
3	जिला मत्स्य कार्यालय भवन का रुफ ट्रीटमेंट, फ्लोर एवं बाहरी प्लास्टर मरम्मति कार्य	6,12,400/–	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 14.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	धनबाद
4	जिला मत्स्य कार्यालय भवन का मरम्मति कार्य	12,54,750/–	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 14.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	

Scanned by CamScanner

क्रम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
5	जिला मत्स्य कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का मरम्मति कार्य	24,59,700/–*	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पलामू द्वारा दिनांक 28.11.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पलामू
	उप योगः	69,41,350/–		
(ख)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	जिला मत्स्य कार्यालय के भवन सं0 02 का जीर्णोद्धार कार्य	24,98,500/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 18.10.2019 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
2	मत्स्य कॉलोनी स्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी के आवास का जीर्णोद्धार कार्य	11,49,450/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	गुमला
3	मत्स्य कॉलोनी स्थित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के आवास का जीर्णोद्धार कार्य	8,65,900/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
4	जिला मत्स्य कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	6,15,000/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
5	जिला मत्स्य कार्यालय/तालाब परिसर का कन्सरटीना फेसिंग के साथ चाहरदीवारी मरम्मति कार्य	18,19,500/–**	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
6	जिला मत्स्य कार्यालय एवं चाहरदीवारी का जीर्णोद्धार कार्य	16,98,300–/	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा दिनांक 11.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	सिमडेगा
7	जिला मत्स्य कार्यालय भवन की मरम्मति एवं रंगाई कार्य	7,56,300/–	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा द्वारा दिनांक 22.11.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
8	जिला मत्स्य कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	19,62,397/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सरायकेला द्वारा दिनांक 14.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	सरायकेला, खरसावाँ
9	बड़ा बाँध स्थित पुराने कार्यालय भवन परिसर का चाहरदीवारी मरम्मति कार्य	4,97,400/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 08.06.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	दुमका
10	खूँटा बाँध स्थित कार्यालय भवन परिसर के चाहरदीवारी का Anti erosion कार्य	1,81,000/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 08.06.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
	उप योगः	1,20,43,747/–		
	कुल योगः	1,89,85,097/–		

*** नोट – पलामू जिला में जिला मत्स्य कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन के मरम्मति कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 24,59,700/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में जीर्णोद्धार कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 8,18,350/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 16,41,350/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।**

Scanned by CamScanner

** इसी प्रकार गुमला जिला में जिला मत्स्य कार्यालय/तालाब परिसर का कन्सरटीना फेसिंग के साथ चाहरदीवारी मरम्मति कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 18,19,500/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में जीर्णोद्धार कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 15,25,753/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 2,93,747/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

(राशि लाख रु0 में)

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व स्वीकृत राशि	वर्तमान स्वीकृत राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050010106010323	1310.00	1309.9878	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S24050010106010543	11.00	11.00	0.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार विपत्र कोड 53S24050010106010544	98.00	45.00	53.00
4	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050010106010759	11.00	11.00	0.00
	उप योगः	**1430.00**	**1376.9878**	**53.00**
(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050078906010323	300.00	299.99277	0.00
	उप योगः	**300.00**	**299.99277**	**0.00**
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050079606010323	1391.00	1390.99333	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S24050079606010440	10.00	0.00	0.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S24050079606010543	35.00	35.00	0.00
4	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार विपत्र कोड 53S24050079606010544	150.00	32.50	117.50
5	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050079606010759	14.00	14.00	0.00
	उप योगः	**1600.00**	**1472.49333**	**117.50**
	कुल योगः	**3330.00**	**3149.4739**	**170.50**

कुल मो0 170.50 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) रु0 मात्र।

4. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

5. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य

Scanned by CamScanner

पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/धनबाद/राँची/गुमला/पलामू/पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/दुमका तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा/कोडरमा एवं सरायकेला–खरसावाँ होंगे। कंडिका 2 में अंकित जीर्णोद्धार कार्यों के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

6. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

7. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

11. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3700.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3635.62 लाख रु0 – मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो0 3392.32 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

13. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 46 रा०(वि०)/राँची, दिनांक 22.02.23

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 रा०(वि०)/राँची, दिनांक 22.02.23

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner